



E-Mail : eepwdkapkot@rediffmail.com

कार्यालय अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट



Ph./ Fax No. - 05963.253385 (O)

पत्रांक 2029/250

दिनांक 20/11/2018

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:-

बागेश्वर में पोथिंग से तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 हेतु वनभूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/23336/2016)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण एवं मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए० उत्तराखण्ड देहरादून के 8वीं/ यू०सी०पी० /06/60/2018/एफ0सी०/735 दिन 10.07.2018 महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं मत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय एफ0आरफ0ए० उत्तराखण्ड देहरादून उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
EDS Dated 10-07-2018		
1	Justification for locating the project in forest land is not C/S by DFO Action Required:- State Govt may upload the Justification for locating the project in forest area duly C/S by DFO at Para D(i)	Revised Justification for locating the project in forest land is C/S by DFO (Attached Online Para D(i)).
2	Employment details seem incorrect. Action Required:- State Govt. may upload the correct employment details in online Part-I at para-E (ii) & (iii)	Correct employment details in online Part-I at para-E (ii) & (iii) Empolymen generation data, it is seen that temporary employment of 18000man days & Permanent Empolymen 0.
3	Hard copy of part III, IV & V is not submitted. Action Required:- State Govt. may submit original hard copy of Part-III, IV & V	Original hard copy of part 3, 4 and 5 uploaded additional information in From A, part-I & and V in original Document Letter No 2028/2E Dated 20-11-2018 by Nodal office Dehradun.
4	Overwriting made in VLC proceedings and DLC proceedings is not authenticated. Action Required:- State GOVT. may review and submit the revised VLC proceedings and DLC proceedings.	Revised VLC Attached in online
5	Hard copy with Original documents is not received so far. Action Required:- The state govt may submit original hard copy of complete proposal except FRA.	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी देहरादून के पत्रांक सं० 3736/ FP/UK/ROAD/23336/2016 दिनांक 19.05.2018 द्वारा प्रस्ताव की 1 प्रति एवं पार्ट 1 से 5 तक संलग्न कर संदर्भित्ति हेतु भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है। (जिसकी छायाप्रति संलग्न है)
6	NPV is wrongly calculated for dense forest. Action Required:- State Govt. may rectify the same	Revised NPV calculated for dense forest Attached in online Part-I at (Additional Details)

अधिकारी अधिकारी
नि० ३० ल० १० दि० २०१८
बागेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०, कपकोट

E-Mail . cepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक २०२८ / २५०

दिनांक २० / ११ / २०१८

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नोडल अधिकारी इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।


विषय:- जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/23336 / 2016)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के EDS Dated 10-07-2018

महोदय,


उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS Dated 10-07-2018 के क्रम में Part-I, Part-II, III, IV & Part-V की मूल प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि अपने स्तर से भारत सरकार को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न –उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०,
कपकोट

पत्रांक २०२८ / २५० दिनांक / ११ / २०१८

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि�०वि०,
कपकोट

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत पोथिंग से तोली तक 7.00 किमी० मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित पी०एम०जी०एस०वाई० पोथिंग भगवती मन्दिर से उछात मोटर मार्ग के किमी० 02 से प्रारम्भ होता है जो उछात, चोरखरक एवं सुलमति ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 334 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों का यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गाँव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएंगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सभी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएंगे साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होंगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह संरेखण सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 7.00 किमी० तथा मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी० ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 0.297 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.735 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 3.255 है० एवं नापभूमि 0.450 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं०-१ इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का समरेखन पी०एम०जी०एस०वाई० पोथिंग भगवती मन्दिर से उछात मोटर मार्ग के किमी० 2 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 7.00 किमी० है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 6 नं० हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखन नं०-२ इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन स्थल पी०एम०जी०एस०वाई० पोथिंग भगवती मन्दिर से उछात मोटर मार्ग के किमी० 2 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 7.00 किमी० आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 8 नं० हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखन नं०-२ को निरस्त कर समरेखन नं०-१ को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 0.297 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.735 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 3.255 एवं नापभूमि 0.612 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 7.00 किमी० व चौड़ाई 7 मी० में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 6.....डिमिंग जोन जिनकी चौड़ाई 1.50 मी० है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊंचाई 2.00 से 3.00 मी० के बीच है प्रस्तावित किये गये हैं। मार्ग निर्माण 6.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा तथा इसके पश्चात खड़ड साईड में स्थित 1.00 मी० चौड़ाई के डिमिंग जोन में मलवा निरस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त 6.....डिमिंग जोन में 6.00 मी० मार्ग निर्माण एवं खड़ड साईड में 1.00 मी० कुल 7.00 मी० चौड़ाई में भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निरस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 7.00 मी० चौड़ाई में सम्मिलित है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें।

2/PC
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण स्पष्ट लो०नि०वि०,
कपकोट

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be under FCA)

1.1 A proposal has been received by this office from डि अधिकारी अभियो लोक निर्माण विभाग कपकोट for diversion under FCA - 1980 of 4.287 ha. Of forest land non forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of जिला योजना के अन्तर्गत पौधिंग से तोली तक 700 किमी० मोटर मार्ग के बनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated 04-12-2017.

1.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency in Col. 1 is a RF/PF/un-classed/Project Forest measuring 4.287 ha.

1.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part 1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

1.4 Whether any rare/ endangered/ unique species of flora and fauna founs in the area. If so the detail there of. No

1.5xx Whether any projected archeological/heritage site/ defense establishment or any other important monuments is located the area, if so the details there of with NOC from competent authority required- No

- The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation) Act 1980 and no work has been started without proper sanction. Yes
- It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation) Act 1980 provisions. A detail report as per Para 1.9 of chapter 1, para C of handbook of forest (Conservation), Act 1980 is attached. No

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Place... Bageshwar
Date: 04-12-2017

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

(signature) 
Name: अमृता पिंडी
Designation: प्रभागीय वनाधिकारी
Office Seal: 

N.B. State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted
 Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16.10.2000 From ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 Hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving then 40 hectare of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

भाग-III

पोथिंग से तोली मोटर मार्ग – 7.00 किमी०

प्रस्ताव संख्या (23336 / 2016)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14— स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं। प्रस्तावित 7.00 किमी० की लम्बाई में कुल 7 बॉज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अलग से कोई निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 04.12.2017 के आधार पर ही सहमति व्यक्त की जा रही है।
15— क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट-II में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ। सहमत।
16— प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:— 26.12.2017

स्थान:— अल्मोड़ा।

(डॉ० आइपी० सिंह)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 3736 / FP/UK/ROAD/23336/2016 देहरादून: दिनांक 19 मई, 2018

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद- बागेश्वर में पोथिग रो तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 हेतु 0 वन भूमि का गैर वानिकी
कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/23336/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को आँगलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः विषयांकित प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्थीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

मनोज चन्द्रन
(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी- FP/UK/ROAD/23336/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति पार्ट। से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद-बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नी०वि०, कपकोट (बागेश्वर)।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद- बागेश्वर में पोथिंग से तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.287 हेक्टर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(FP/UK/ROAD/23336/2016)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुरक्षित समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग में 0.297 हेक्टर राजस्व 3.255 हेक्टर आरक्षित वन भूमि एवं 0.735 हेक्टर पंचायत वन भूमि अर्थात कुल 4.287 हेक्टर वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अयलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः बागेश्वर में पोथिंग से तोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:
नाम व पदनाम: (मनोज चन्द्रन भा.व.से.)
गुरुव्य वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर:
तिथि : ११ / ०५ / २०१८
स्थान : देहरादून

1(54)] 2018

PROPOSALNO- FP/UK/Road/23336/2016
PROPOSALNAME-Construction-of-pothing-Toli
motor road

AREA - 4.287 Ha
District- Bageshwar

PART- V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorised officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:
(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon)

RECOMMENDED

04/06/2018

Signature-

Name and designation

(अरावन्द तिवारी)

सचिव

Official seal

पर्यावरण विभाग
उत्तराखण्ड शासन

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-091/2017

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

(i)

State / Union Territory : Uttarakhand

(ii)

District : Bageshwar

(iii)

Forest Division : Bageshwar

(iv)

Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 4.287

(v)

Category of the Proposal: Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Bageshwar	0.297	Revenue Forest
2	Bageshwar	3.255	Reserved Forest
3	Bageshwar	0.735	Village Forest

Division 1. : Bageshwar

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Bageshwar	4.287

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

(i)

Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	4.287	0.2	Eco 5

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Pinus roxburghii	chir	-1	0	0	157	35	62
2	Alnus Nepalensis	utees	-1	0	0	13	14	40
3	Rhododendron arboreum	buras	-1	0	0	7	13	27
4	Quercus leucotrichophora	baaj	-1	0	0	4	2	1

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion :

chirpatkot compartment no 02,Chir working circle, qt class 2/3,PB-IGRII, chirpatkot compartment no 06,protection, chirpatkot compartment no 07,protection.

<p>6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : The area is not prone to soil erosion</p> <p>7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 1.00</p> <p>8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view</p> <p>(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Wildlife presence is rare in the proposed land</p> <p>(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No</p> <p>(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No</p> <p>(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No</p> <p>(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No</p> <p>9.</p> <p>Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any</p> <p>(i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No</p> <p>10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion</p> <p>(i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes</p> <p>11. Details of violation(s), if any ,committed</p> <p>(i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No</p> <p>12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL</p> <p>13. Details of compensatory afforestation scheme</p> <p>(i).</p> <p>Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Patch Wise Details</th> </tr> <tr> <th>S.no</th> <th>District Name</th> <th>Village</th> <th>Area(in ha.)</th> <th>Khasra</th> <th>KML file</th> <th>Present Owner file</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bageshwar</td> <td>Shumgar</td> <td>8.574</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(ii).</p> <p>Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: </p> <p>(iii).</p> <p>Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A: </p> <p>Additional information Details</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S. No.</th> <th>Documents</th> <th>Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Patch Wise Details							S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	Khasra	KML file	Present Owner file	1	Bageshwar	Shumgar	8.574	2			S. No.	Documents	Remarks	1		
Patch Wise Details																											
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	Khasra	KML file	Present Owner file																					
1	Bageshwar	Shumgar	8.574	2																							
S. No.	Documents	Remarks																									
1																											

14. District Profile

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Bageshwar	231000	107400	726.60415	381	1453.2083	23/12/2017	1356	0

15.

Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Bageshwar	North Kumaun	DFO	Yes	One		04/12/2017
	North Kumaun	CF	No		No Data	

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV)).

16.

Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Bageshwar	North Kumaun	DFO	Recommended			
	North Kumaun	CF	Recommended	The Proposal is in Public Interest. As per Proposal families 334 of 2 villages will be benefited, hence recommended.		Yes
		Nodal Officer	Recommended	as per file attached		

Specific recommendation of the State Government(Part V)

17

Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)

State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	04/06/2018	as per file attached	State Govt. Officer	No Data	

Payment made by User Agency

18. Payment made by User Agency

